OC

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला–सुकमा (छ0ग0)

Email –spsukma.cg@gmail.com. Office No. 07864-284101.102 Fax No.07864-284103

दिनांक 08/02/2016

क्रमांक/पु0अ0/सुकमा/रीडर/ 190 /2016.

प्रति,

श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला एवं सत्र न्यायालय, दन्तेवाड़ा
जिला – दन्तेवाड़ा (छ0ग0)।

विषय :– श्री प्रभाकर ग्वाल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुकमा द्वारा प्रकरणों की केश डायरी एवं अभियोग पत्र पेश करने व अन्य विषयों के संबंध में।

—::00::—

जिला सुकमा पूर्णतः नक्सल प्रभावित जिला है साथ ही क्षेत्र में संचार के समुचित साधन का भी अभाव है। प्रतिबंधित नक्सली संगठन के सदस्यों द्वारा आये दिन सड़कों पर आईईडी लगाकर विस्फोट करना, नक्सली बंद के दौरान सडक मार्गो को काटना व निर्दोष आदिवासी ग्रामीणों की गैर कानूनी जनअदालत लगाकर बिना कानून व्यवस्था की परवाह किये क्रूर तरीके से हत्या करना रोजमर्रा की घटनाएं बन गयी है (संलग्न कुछ पेपर कतरन)। इन विपरीत परिस्थितियों में रहकर एवं जान जोखिम में डालकर फोर्स के द्वारा घनघोर जंगल में विपरित परिस्थितियों में नक्सल विरोधी ऑपरेशन संचालित किये जाते है। नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों पर हमला कर अबतक सैकड़ो सुरक्षा बलों की हत्या कर चुके हैं और अन्य सैकड़ों लोग आईईडी विस्फोट की घटनाओं में अपंग हो चुके है। समय–समय पर फोर्स द्वारा इन नक्सलियों को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार माननीय सुकमा सीजेएम न्यायालय पेश किया जाता है। वर्तमान सीजेएम महोदय की पदस्थापना के बाद से माननीय न्यायालय सुकमा द्वारा केश डायरी एवं अभियोग पत्र पेश करने पर निम्नलिखित रूप से लगातार पुलिस के विवेचकों को किसी व्यक्तिगत दुर्भावनावश परेशान किया जा रहा है :–

01. नक्सली प्रकरणों में गिरफ्तार/फरार अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोगपत्र पेश करने पर प्रकरण के अन्य फरार आरोपियों के विरूद्ध पूरक चालान पेश करने का लेख कर अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो न्यायालय द्वारा पूरक चालान नही लेने को कहा जाता है। दंप्रसं की धारा 173 (8) का फरारी पंचनामा में फरार आरोपी की संपूर्ण जानकारी जैसे उसका फोटो, पूरा नाम, पिता नाम, ग्राम, उम्र, जाति व अन्य दिगर जानकारी की मांग की जाती है। महोदय, इन प्रतिबंधित नक्सली संगठन में सदस्यों के सिर्फ एक नाम नही बल्कि कई नाम उर्फ करके होते है। उनके पहचान पत्र न होने के कारण फोटो उपलब्ध नही होता है। उनके पिता का नाम एवं सकुनत का अता–पता नही रहता है। मुठभेंड़ के बाद उसमें शामिल नक्सलियों का किसी प्रकार सिर्फ नाम ही पता चल पाता है। मुखबीरों आत्मसमर्पित नक्सलियों व गिरफ्तार नक्सलियों से पूछताछ में पुराने पुलिस–नक्सल मुठभेड़ में शामिल आरोपियों के बारे में पता चल पाता है। फिर भी फरारी पंचनामा तैयार कर अभियोग पत्र पेश करने को निर्देशित किया जाता है। वर्तमान सीजेएम के इस नई प्रक्रिया के तहत न्यायिक प्रकिया में और अनावश्यक देरी होती जा रही है।

सत्यापित
अनुविभागीय अधिकारी पु
सुकमा

02. वर्तमान सीजेएम महोदय द्वारा प्रथम रिमाण्ड में ही यथाशीघ्र चालान पेश करने हेतु अनावश्यक निर्देशित दिया जाता है। जबकि नक्सली मामलों की जॉच गवाहों, सबूतों के अभाव और इस इलाके के अन्य कठिनाईयों के कारण मामले में समय लगना स्वभाविक है।

03. थाना चिंतागुफा के अपराध कमांक 10/2014 धारा 147, 148, 149 120 –बी, 307 ताहि. 25, 27 आर्म्स एक्ट के प्रकरण में गिरफ्तार 07 अभियुक्तों को पेश करने पर प्रथम रिमाण्ड के स्तर पर माननीय न्यायालय द्वारा डायरी का अवलोकन कर 307 भादवि. का अपराध नही बनता कहकर अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन लेकर धारा 307 भादवि. को हटाकर जमानत का लाभ दे दिया गया। तर्क दियी गया कि आहत पुलिस कर्मी को लगी गोली वायटल पार्ट्स पर नही लगी है इसलिए धारा 307 भादवि. नही बनता है, जबकि नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को जान से मारने एवं हथियार लूटने की आशय से ही हमला किया गया है एवं गोली चलाया गया है, जो प्रथम दृष्टिया ही धारा 307 भादवि. की परिधि में आता है। नक्सली मामले जिसमे सुरक्षा बलों को गोली लगी हो, उसमें **बिना ट्रायल** के 307 के आरोपी को जमानत देना अपराधिक न्यायिक प्रकिया को कमजोर करने वाला है।

04. थाना गादीरास के चार नक्सली प्रकरण जिसमें तीन प्रकरणों में धारा 147, 148, 149, 341 ताहि. धारा 3 लो.सं. नु. नि. अधिनियम एवं एक प्रकरण धारा 147, 148, 149, 427, 435 ताहि. में स्थाई वारंटियों को पुलिस पार्टी द्वारा जंगल में ऑपरेशन कर अपनी जान जोखिम में डालकर गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय पेश किये जाने पर तत्काल जमानत का लाभ प्रदान कर दिया। इससे फोर्स का मनोबल प्रभावित होता है और अपराधियों को न्याय प्रकिया का मजाक उडाने का मौका मिलता है।

05. नक्सली बंद के दौरान हथियारबंद नक्सलियों एवं बिना हथियारों के उनके सैकड़ों संख्या में सहयोगियों द्वारा जगह–जगह रोड काटना, वाहनों में आग लगाना, पेड़ काटकर मार्ग अवरूद्ध करना, रोड मार्ग पर आईईडी लगाना और सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला करना आम बात है। यह समय–समय पर मिडिया में आता रहता है। संपूर्ण जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। पुलिस तथा सीआरपीएफ के जवानों द्वारा अपने जान को जोखिम में डालकर ऑपरेशन कर सरकारी संपत्ति, राष्ट्रीय/राजकीय सड़क मार्गो व अन्य संपत्ति की सुरक्षा एवं जान–माल की सुरक्षा का प्रयास किया जाता है। बाद में पता लगने पर इन अपराध के आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किये जाने पर उन्हे वर्तमान सुकमा सीजेएम महोदय द्वारा तत्काल जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, जिससे आरोपियों को पुनः अपराध घटित करने को बल मिलता है। इस कारण जवानों के उत्साह एवं मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है एवं नक्सली एवं उनके सहयोगियों का मनोबल बढ़ता है।

06. उपरोक्त के अलावा माननीय सीजेएम महोदय द्वारा नक्सली प्रकरण में आरोपियों क गिरफ्तार कर पेश किये जाने पर अभियुक्तगण से पूछताछ कर उन्हें निर्दोष मानते हु वकीलों पर दबाव देकर आरोपीगणों की ओर से आवेदन पत्र तैयार कर वरिष्ठ अधिकारि को भेजा जाता है जबकि आरोपीगण स्वेच्छापूर्वक अपना अपराध स्वीकारोक्ति का कथ करते है। इस संबंध में सुकमा के एक सम्माननीय वकील श्री कैलाश जैन के द्वारा पुलि अधीक्षक को आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि 22.12.2015 को एक नक्सली प्रकरण सीजेएम महोदय द्वारा मुझे अपराधी के पक्ष मे बिना मेरे ईच्छा के आवेदन लिखने के लि कहा गया जिसे मैने लिखा और उस पर मैने हस्ताक्षर नही किया यद्यपि उसके पावती मेरे नाम का उल्लेख सीजेएम महोदय द्वारा किया गया है। (कैलाश जैन की आवेद संलग्न)

महादय, उपरोक्त बिन्दुओं पर कृपया आपका ध्यान आकृष्ट कराना है। अतः प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न :– 01. कैलाश जैन की आवेदन।
02. अन्य संलग्नक कुछ पेपर कतरन।

पुलिस अधीक्षक
जिला – सुकमा (छ0ग0)

क्रमांक / पु0अ0 / सुकमा / रीडर / 190 / 2016, दिनांक 08 / 02 / 2016
प्रतिलिपि :–

01. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0) की सादर सूचनार्थ।
02. पुलिस महानिदेशक (अभियोजन), रायपुर (छ0ग0) की ओर सादर सूचनार्थ।
03. विशेष पुलिस महानिदेशक (एएनओ / विआशा), पु0मु0 रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
04. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (गुप्तवार्ता), पु0मु0 रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
05. पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
06. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला सुकमा की ओर सादर सूचनार्थ।

पुलिस अधीक्षक
जिला – सुकमा (छ0ग0)

अवलोकित
अनुविभागीय अधिकारी पुलिस
सुकमा